

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित सौग बौध परियोजना के निर्माण हेतु कुल 127.6712 है० (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-65.0467है०) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु अवस्थापना (पुर्नवास),खण्ड, ऋषिकेश को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(ii)	जिला	उत्तराखण्ड राज्य
(iii)	वन प्रभाग	देहरादून
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(v)	वन की कानूनी स्थिति	127.6712 है० (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-65.0467है०)
		31.9189 है० आरक्षित वन भूमि कुण्ड कक्ष सं०-7
		5.1050 है० आरक्षित वन भूमि कुण्ड कक्ष सं०-5सी
		1.5020 है० आरक्षित वन भूमि रिगालगढ़ कक्ष सं०-1
		3.1700 है० आरक्षित वन भूमि द्वारा कक्ष सं०-2 एवं 3
		1.5480 है० आरक्षित वन भूमि द्वारा कक्ष सं०-6
		2.1140 है० आरक्षित वन भूमि द्वारा कक्ष सं०-7
		1.7620 है० आरक्षित वन भूमि बांदल कक्ष सं०-1
		47.1199 है०
		1.1880 है० द्वारा खाता न० 329 खसरा न० 2164 (राजस्व अभिलेख/खतौनी के अनुसार रिजर्व फारेस्ट)
		1.4840 है० द्वारा खाता न० 329 खसरा न० 2165 (राजस्व अभिलेख/खतौनी के अनुसार रिजर्व फारेस्ट)
		0.6600 है० द्वारा खाता न० 330 खसरा न० 2092 (राजस्व अभिलेख/खतौनी के अनुसार रिजर्व फारेस्ट)
		0.5800 है० द्वारा खाता न० 330 खसरा न० 701 (राजस्व अभिलेख/खतौनी के अनुसार रिजर्व फारेस्ट)
		3.9120 है०
		0.6600 है० ग्राम सौन्दरणा सिविल सोयम भूमि
		4.5472 है० ग्राम रगड़गांव सिविल सोयम भूमि
		0.2460 है० ग्राम भरवाकाटल सिविल सोयम भूमि
		0.3460 है० ग्राम श्रीपुर सिविल सोयम भूमि
		0.0560 है० ग्राम थेवा सिविल सोयम भूमि
		0.4200 है० ग्राम रेनीवाला सिविल सोयम भूमि
		0.4400 है० ग्राम कुल्हान मानसिंह सिविल सोयम भूमि
		0.1610 है० ग्राम मरोठा सिविल सोयम भूमि
		0.7938 है० ग्राम सौंदरणा (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि
		0.6442 है० ग्राम रगड़गांव (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि
		0.2580 है० ग्राम भरवाकाटल(जलमग्न)सिविल सोयम भूमि
		0.0870 है० ग्राम श्रीपुर (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि
		1.4800 है० ग्राम खेरीमानसिंह(जलमग्न)सिविल सोयम भूमि
		0.8000 है० ग्राम पुस्ताड़ी (जलमग्न) सिविल सोयम भूमि
		0.1800 है० ग्राम कुल्हान मानसिंह(जलमग्न)सिविल सोयम भूमि
		2.8130 है० ग्राम सौंदरणा (वन पंचायत)सिविल सोयम भूमि
		0.0826 है० ग्राम धुड़साल गांव(रौली / नाला)सिविल सोयम भूमि
		14.0148 है०
		65.0467 है०
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.5

(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में विभिन्न प्रजाति एवं व्यासवर्गवार के (आरक्षित वन भूमि-5183 वृक्ष, सिविल सोयम भूमि- 28 वृक्ष, सिविल सोयम (जलमग्न भूमि)-596 वृक्ष, वन पचायत भूमि-53 वृक्ष एवं निजी/नाप भूमि-218 वृक्ष) कुल 6078 वृक्ष प्रभावित /वाधक होने निहित है। प्रभावित /वाधक होने वाले वृक्षों की प्रजातिवार एवं व्यासवर्गवार गणना एवं मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक 95 से 173, प्रपत्र-20 के संलग्नक 196 से 223, प्रपत्र-20.1 के संलग्नक 225 प्रपत्र-20.1 के संलग्नक 225 एवं प्रपत्र-21 के संलग्नक 236 से 249, पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक(से0नि) लो0नि0वि0, देहरादून की दि0 21-01-2016 की आख्या प्रस्ताव के प्रपत्र-33 के संलग्नक-278 से 289 पर चस्पा की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित /चयनित स्थल रायपुर रेंज के आरक्षित वन कुण्ड कक्ष सं0-7, 5सी0ए रिगालगढ कक्ष सं0-1, द्वारा कक्ष सं0-2, 3, 6 एवं 7, मसूरी रेंज के आरक्षित वन बांदल कक्ष सं0 1 तथा (राजस्व विभाग के अभिलेख खसरा /उद्धरण खतौनी के अनुसार) ग्राम द्वारा के खाता न0 329 खसरा न0 2164, 2164, खाता न0 330 खसरा न0 2092ख, 701 एवं ग्राम सौन्दणा, रगड़गांव, भरवाकाटल, श्रीपुर, थेवा, रैनीवाला, खैरीमानसिंह, पुस्ताड़ी, कुल्हान मानसिंह एवं मरोठा की सिविल सोयम /जलमग्न भूमि की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबध्ति की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र-25 के संलग्नक-255 पर चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	-----नहीं-----
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र-37 के संलग्नक-295 पर चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र-14 के संलग्नक-36 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	— नहीं—

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 127.6712 हे० के बदले दुगने 255.3424 अर्थात् 256.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कमशः ग्राम भुटगांव रकबा-18.50हे० एवं 8.76हे०, ग्राम खासकोटी रकबा-27.30हे०, ग्राम मोर्ग रकबा-24.30हे०, ग्राम टिंगरी चक रकबा-29.00हे० एवं ग्राम जयद्वार तल्ला रकबा-20.54हे० की सिविल सोयम भूमि का चयन /आबटन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं गूगल मानचित्र (पौलीगन) आदि प्रस्ताव के प्रपत्र-42 के संलग्नक-300 से 301 एवं प्रपत्र-44 के संलग्नक-334 से 338 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 127.6712 हे० के बदले दुगने 255.3424 अर्थात् 256.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों (सिविल सोयम भूमि) का चयन भद्रीगाड़ रेंज के अन्तर्गत किया गया है। प्रस्तावित स्थल से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूखण्डों की धरातलीय दूरी लगभग 80.00किमी०, चयनित भूखण्डों की संख्या-8 तथा प्रत्येक भूखण्ड का आकार पर्वतीय व ढालदार है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 7,84,71,936.00 (रु० सात करोड़ चौरासी लाख इकहतर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 7,84,71,936.00 (रु० सात करोड़ चौरासी लाख इकहतर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
A(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र एवं खसरा खतौनी की प्रति प्रस्ताव के प्रपत्र-43 के संलग्नक-302 एवं प्रपत्र-43(a) के संलग्नक-303 से 333 पर चस्पा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र-6(1) संलग्नक-21 पर चस्पा है। पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु चयनित स्थल की वन भूमि /क्षेत्र का निरीक्षण दि० 16-05-2019 जो प्रस्ताव के संलग्नक 22 पर चस्पा है एवं पुनः दिनांक 23-12-2019 को किया गया है,
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- देहरादून /जिला-टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि०मी० / 4421 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.92 वर्ग कि०मी० / 4058.90 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	जनपद-देहरादून के अन्तर्गत कुल मामलों की संख्या 118 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 266.7834 हे० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 192.9928 हे० है तथा जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कुल मामलों की संख्या 98 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 986.0073 हे० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 521.6025 हे० है।

(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 421.578 हैक्टेयर + 236.9612=658.5392 है० (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 317.63 है० + 213.75=531.38 है० जिला / प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित परियोजना का निर्माण कार्य प्रज्जगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग को अपने स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 1-11-2020 ।
स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर
नाम:- (कहकशां नसीम)
सरकारी मुहर
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी